न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 10/2020
GCMS NO. : **2020/00061**

–:: वादी :– **बनाम** **–:: प्रतिवादीगण :–**

वादी:

1. परसाराम पुत्र धाराराम
जाति– जाट, निवासी बीटन,
तहसील– मेड़ता सिटी, जिला
नागौर राज0।

प्रतिवादीगण:

1. मांगीलाल पुत्र सतीदान
2. पुखराज पुत्र सतीदान
3. बाबूलाल पुत्र देवीलाल
4. सुगनचंद पुत्र देवीलाल
5. रामरतन पुत्र शेरा फौत के कायम मुकाम
   5/1. श्रवणकुमार पुत्र रामरतन
   5/2. मगराज पुत्र रामरतन
   5/3. तुलसी पुत्री रामरतन
6. श्रीकिशन पुत्र शेरा फौत के कायम मुकाम
   6/1. मोहन पुत्र श्रीकिशन
   6/2. श्याम पुत्र श्रीकिशन
   6/3. जयप्रकाश पुत्र श्रीकिशन
   6/4. पिस्ता पुत्री श्रीकिशन
   6/5. कैली पुत्री श्रीकिशन
   6/6. दुर्गा पुत्री श्रीकिशन
   6/7. पानीबाई पुत्री श्रीकिशन
7. दधिमत पुत्र शेरा फौत के कायम मुकाम
   7/1. ओमप्रकाश पुत्र दधिमत
   7/2. रामेश्वर पुत्र दधिमत
   7/3. दशरथ पुत्र दधिमत
   7/4. चेतन पुत्र दधिमत
   7/5. शारदा पुत्री दधिमत
   7/6. निर्मला पुत्री दधिमत

   जातियान ब्राह्मण निवासीगण निम्बोल तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।
8. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी राजस्थान सरकार जिला– पाली।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधा[illegible] अन्[illegible] धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 [illegible] दर्ज: 26.02.2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.02.15 14:11:39 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 03/02/2021**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम निम्बोल पटवार हल्का निम्बोल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती अविभाजित शामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1140 रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा आयी हुई है। जिसमे वादी का 1/2 वां हिस्सा है तथा इसी हिस्से अनुसार मौके पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जिसकी जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 व नक्शा देश की प्रमाणित प्रति की साथ संलग्न है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है । परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादी के साथ सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादी की खन्दक/मेडबन्दी को तोडफोडकर देते हैं एवं वादी को हर समय उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा रहते है। उक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि होने से वादी अपने हक हिस्से व बंट की भूमि मे आधुनिक तरीके से कृषि करने हेतू बैंक से ऋण नही ले सकता तथा अपनी कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नही करवा सकता एवं अनेको प्रकार की राज्य एवं भारत सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पड़ रहा है एवं अनेको प्रकार की कठिनाईयो तथा समस्याओ का समना करना पडता है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि जो मौके पर अपने हक हिस्से बंट अनुसार बंटी हुई है का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा करवाने हेतू दिनांक 13/02/2020 को कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप इंकार हुए एवं प्रतिवादीगण ने ऐलानिया कथन किया कि उक्त भूमि का बिना कानूनी बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य अजनवी केता को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देगे एवं वादी को उसके कब्जे काश्त से वेदखल कर देगे। यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादो मे कामयाब हो जाते है एवं वादी को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से वेदखल कर देते है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं वादी अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारी तथा खातेदारी कबजे काश्त की कृषि भूमि से वंचित हो जायेगा तथा अनेकों प्रकार की मुकदमेबाजी होगी जिससे विविध प्रकार की पेचीदगिय[illegible] जिससे वादी खर्चे से जेर वार हो जायेगा। इसलिए वादी के पास [illegible] नहीं [illegible] से यह वादपत्र बावत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान जी के स[illegible] है। उपरोक्त कृषि भूमि का वादी खातेदार काश्तकार होने से एवं वादी का [illegible]म राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने से वादी अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने का अधिकारी है तथा मौके पर वादी का अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर कब्जा काश्त होने से एवं दस्तावेजात से प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का सन्तुलन भी

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.02.15 14:11:39 IST
Reason: SelfAttested

हर दृष्टिकोण से वादी के पक्ष मे है यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक मंसुबो मे सफल हो जाते है तो वादी को असीम हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं मल्टीप्लीसिटी अ०फ प्रोसिडिंग्स् बढ़ेगी। इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यो को रोके जाने बावत् यह वादपत्र बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 8 तहसीलदार साहब, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार है तथा बंटवाडे के वाद मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 13.02.2020 को वादी ने प्रतिवादीगण को बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर एवं बिना बंटवाड़ा करवाये शामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करनें एवं वादी को उसके हक–हिस्से व कब्जे से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम निम्बोल तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होनें से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। बहस वकील वादी की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद–पत्र, शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम भींवगढ़ सम्वत् 2073–2076 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादी बरूबे राजस्व रेकर्ड वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 1140 में वादी के हक–हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डर के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा–निम्बोल, पटवार हल्का– निम्बोल तहसील– जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1140 रकबा 21–02 बीघा किस्म बारानी दोयम में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंटवाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2020/1199 दिनांक 29/12/2020 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/230 दिनांक 14/01/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव [illegible] सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। [illegible] ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलो[illegible] किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.02.15 14:11:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा– निम्बोल, पटवार हल्का– निम्बोल, तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1140 रकबा 21–02 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा	किस्म	लगान
1	मांगीलाल, पुखराज पि. सतीदान 1/4, रामरतन, श्रीकिशन दधिपत पि. शेरा, बाबूलाल, सुगनचन्द पि. देवीलाल 1/2, कौम ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार	1140/1	10-11	बारानी दोयम	3.27
2	परसाराम पुत्र धाराराम जाति जाट सा0 बीटन तहसील मेड़ता जिला नागौर खातेदार	1140	10-11	बारानी दोयम	3.27
	योग	2	21-02		6.54

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/02/2021 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.02.15 14:11:39 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत:– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:– जैतारण
बईजलास :– श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

–:: वादी :– **बनाम** **–:: प्रतिवादीगण :–**

1. परसाराम पुत्र धाराराम
जाति– जाट, निवासी बीटन,
तहसील– मेड़ता सिटी, जिला
नागौर राज0।

1. मांगीलाल पुत्र सतीदान
2. पुखराज पुत्र सतीदान
3. बाबूलाल पुत्र देवीलाल
4. सुगनचंद पुत्र देवीलाल
5. रामरतन पुत्र शेरा फौत के कायम मुकाम
   5/1. श्रवणकुमार पुत्र रामरतन
   5/2. मगराज पुत्र रामरतन
   5/3. तुलसी पुत्री रामरतन
6. श्रीकिशन पुत्र शेरा फौत के कायम मुकाम
   6/1. मोहन पुत्र श्रीकिशन
   6/2. श्याम पुत्र श्रीकिशन
   6/3. जयप्रकाश पुत्र श्रीकिशन
   6/4. पिस्ता पुत्री श्रीकिशन
   6/5. कैली पुत्री श्रीकिशन
   6/6. दुर्गा पुत्री श्रीकिशन
   6/7. पानीबाई पुत्री श्रीकिशन
7. दधिमत पुत्र शेरा फौत के कायम मुकाम
   7/1. ओमप्रकाश पुत्र दधिमत
   7/2. रामेश्वर पुत्र दधिमत
   7/3. दशरथ पुत्र दधिमत
   7/4. चेतन पुत्र दधिमत
   7/5. शारदा पुत्री दधिमत
   7/6. निर्मला पुत्री दधिमत
   जातियान ब्राह्मण निवासीगण निम्बोल तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।
8. तहसीलदार जैतारण, भूमिधारी राजस्थान सरकार जिला– पाली।

मु0न0 :रा0वा0 स0: 10/2020

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री रामस्वरूप चौधरी अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्दई ... मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक ... फैसला ... नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी ... है कि सरहद मौजा– निम्बोल, पटवार हल्का– निम्बोल तहसील–जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 1140 रकबा 21–02 बीघा किस्म बारानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.02.15 14:11:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

दोयम भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा-बिस्वा	किस्म	लगान
1	मांगीलाल, पुखराज पि. सतीदान 1/4, रामरतन, श्रीकिशन दधिपत पि. शेरा, बाबूलाल, सुगनचन्द पि. देवीलाल 1/2, कौम ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार	1140/1	10-11	बारानी दोयम	3.27
2	परसाराम पुत्र धाराराम जाति जाट सा0 बीटन तहसील मेड़ता जिला नागौर खातेदार	1140	10-11	बारानी दोयम	3.27
	योग	2	21-02		6.54

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/02/2021 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	-	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	04-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	-	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	मुतफर्रिक	
मिजानः-	18-00	मिजानः-	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.02.15 14:11:39 IST
Reason: SelfAttested